न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 32/2025

1 मदनलाल पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणी कुम्हासन तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 रूपाराम पुत्र मालाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चूरू

2 भूराराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चूरू

3 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा तह. बीदासर चूरू

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर (चूरू)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी .– श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 1, 2 अख्तर सोलंकी एडवोकेट

3 प्रतिवादी स. 4 – पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 30/6/2025

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खाता नम्बर 221 खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 5.8932 हैक्टेयर (23–06 बीघा), खसरा नम्बर 322 रकबा 2.1119 हैक्टेयर (8–07 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 8.0051 हैक्टेयर (31–13 बीघा) वाके रोही कालेरा की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है वादगत भूमि सम्पदि खेतो में वादी स. 1 मदनलाल का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स. 1 रूपारम का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 2 भूराराम का 1/4 हिस्सा के रेकार्डेड खातेदार है वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ने अपने पिता के वक्त से किये गये विभाजन के अनुसार वादगत खेतों के 1/2 हिस्सा में से 10–16.50 बीघा वादी मदनलाल के हिस्सा पांती में खसरो की उतरादी पाखी में से तथा प्रतिवादी स. 2 के दोनो खसरो की दक्षिणी पश्चिमी पाखी की 5–00 बीघा हिस्सा पांती में है इस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादीगण की अपने अपने हिस्सा भूमि की अलग अलग पुख्ता पक्की सीवें कायम है तथा प्रत्येक हिस्सेदार के आवागमन का रास्ता कायम है, वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा पांती में रिहायसी ढ़ाणीया बना रखी है जिसमें निवास कर अपनी अपनी हिस्सा भूमि काश्त करते है। वादगत भूमि सम्पति का वादी एवं प्रतिवादीगण ने संलग्न नजरी नवशा में वर्णितानुसार विभाजन कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेत को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

सख्या 1 ता 2 अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार अपनी अपनी हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। वादगत खेत खसरो की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादी को कई प्रकार कीं कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 सींवों को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेत में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी का वादगत खेतो किये हूए विभाजन के अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादगत भूमि सम्पति के कोई कटाणी मार्ग नहीं लगता लेकिन दक्षिणी तरफ के खेत खसरा नम्बर 322 की दक्षिणी कुन्ट मे से होकर खेतों का रास्ता लगता है जिससे फांट कर वादी एवं प्रतिवादीगण ने तीनो हिस्सेदारों के पहूच की हद तक आवागमन का रास्ता कायम कर रख है। वादी का निवास स्थान राजस्व रेकार्ड में कालेरा की ढ़ाणी दर्ज है जबकी वादी ढ़ाणी कुम्हारान् का निवासी है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत कीं खातेदारी का रेकार्डेड हिस्सा एवं मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेतों की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है हम जहां चाहे कब्जा करेगे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 दो ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लियां है वादी शान्तिप्रिय, क़ानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 14—06—2025 को निवेदन किया कि वादगत खेतो की खातेदारी का मुंताबिक रेकार्डेड हिस्सा एवं कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारें हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतों में जहां चाहे कब्जा करके पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेतों का बिना विधिवत विंभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू—माफिय़ा लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विकय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करें। वादगत भूमि वाके रोही कालेरा की ढ़ाणी में वादी एवं उनके पूर्वजों के द्वारा किये गये हिस्सा पांती अनुसार कब्जा काश्त होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर वादी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 14—06—2025 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

हित निहित न होने के बावजूद भी भू धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रस्तुत दावे में दो माह का पूर्व नोटिस देने से छूट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया जाकर दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन, ग्राम का नाम कालेरा की ढाणी से ढाणी कुम्हारान् रेकार्ड दुरूसिति एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि मितर प्रस्तुत है वाद दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जाये कि वादगत खसरा नम्बर 321 रकबा 5.8932 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 2.1119 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 8.0051 हैक्टेयर (31–13 बीघा) वाके रोही कालेरा की ढाणी तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 2 का पांती अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पहूच के रास्ते का अंकन करते हूए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें, राजस्व रेकार्ड में ग्राम का नाम कालेरा की ढाणी के स्थान पर ढाणी कुम्हारान् दुरूस्त किये जाने के आदेश अता फरमाये, प्रतिवादीगण को जरिये चिर निशेधाज्ञा की डिकी से वर्जित किया जावें की वादगत खेत का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतो के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादी को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बेदखल करे। ना ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। प्रतिवादी सख्या 4 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिकी के राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 16/06/2025 को वादी के मिशल पैशी पर लेने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मिशल पेशी में ली गई, प्रकरण में प्रतिवादी सँख्या 1 व 2 की तरफ से श्री अख्तर सोलंकी ने वकालतनामा मय राजीनामा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। राजीनामा मय नजरी नक्शा वाद जांच शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सख्या 3 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी स. 4 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई। प्रकरण में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। राजीनामा में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार विभाजन एवं रेकार्ड दुरूसिति का निवेदन किया गया है।

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आदेश

फलतः वादगत खसराजात की खातेंदारी का पूर्वजों के समय से किये गये विभाजन अनुसार कब्जा काश्त होने से वादगत खसराजात की वर्तमान खातेदारी हिस्सा मुताबिक हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त के गलत दर्ज है वादी वादगत खेतों की खातेदारी में कब्जा काश्त एवं मौखिक विभाजन अनुसार दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में निवास स्थान कालेरा की ढ़ाणी के बजाय ढ़ाणी कुम्हारान् शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी पाया जाता है तथा वादी विभाजन व वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अनुतोश प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश किये जाते है।

वादी का वाद राजीनामा के आधार पर अन्तिम रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है वादगत खेत खसरा नम्बर 321, 322 रोही कालेरा की ढ़ाणी में दर्ज वर्तमान निवास स्थान कालेरा की ढ़ाणी के बजाय निवासी ढ़ाणी कुम्हारान् दर्ज करे तथा वादगत खसरा भूमि में से उतरी तरफ के खसरा नम्बर 321 रकबा 5.8932 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की 10–16.50 बीघा (दोनो खसरों के मूल रकबा के 1/2 हिस्सा में से) वादी सख्या 1 मदनलाल के हिस्सा पांती में व दोनो खसरों की दक्षिणी पश्चिमी पाखी में से 5–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 2 भूराराम के हिस्सा में रहेगी तथा वादी मदनलाल के दक्षिणी तरफ की एवं प्रतिवादी सख्या 2 भूराराम के उतरी व पूर्वी तरफ की दोनो खसरों की बाकी भूमि तादादी 15–16.50 बीघा प्रतिवादी सख्या 1 रूपाराम के हिस्सा पांती में प्रतिवादी सख्या 3 बैंक का हित सुरक्षित रखते हूए दर्ज की जावे, राजीनामा एवं सलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता का अंकन वादी के हिस्सा की पहूच तक नक्शा में डॉटेड अंकित किया जावे। रास्ता 16'–6" चौड़ी भूमि खातेदारों के अधिकारों की भूमि रहेगी, जिसे आवागमन के रूप में काम मे लिंया जायेगा, रास्ता भविश्य में प्रतिवादी स. 1 व 2 बन्द नही कर सकेगे। राजीनामा एवं नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का एक भाग रहेगा। इस बाबत तहरीर प्रतिवादी सख्या 4 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30 / 6 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर